

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1966
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

उन्नत शीत शृंखला अवसंरचना के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग

1966. कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री पी. सी. मोहन:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का उच्च मूल्य वाली नाशवान वस्तुओं के लिए आवश्यक उन्नत शीत शृंखला अवसंरचना के प्रबंधन और रखरखाव के लिए प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने हेतु कर्नाटक, विशेषकर दक्षिण कन्नड़ और बेंगलुरु में आईआईएचआर, यूएस जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और एनआईटीके सुरथकल, मैंगलोर विश्वविद्यालय और मत्स्यपालन तथा खाद्य विज्ञान संस्थानों जैसे अन्य कौशल विकास केंद्रों के साथ सहयोग करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और शीत शृंखला परियोजनाएं बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में उच्च मूल्य वाले फसल उत्पादन और बागवानी क्षेत्रों जैसे सुपारी, नारियल, काजू और समुद्री मत्स्य पालन बेल्ट के निकट स्थापित की जाएं ताकि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, संभार तंत्र संबंधी दक्षता में सुधार किया जा सके और किसानों की आय में सुधार किया जा सके;
- (ग) क्या सरकार ने कर्नाटक के उक्त जिलों में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों और शीत शृंखला अवसंरचना के उपयोग और निष्पादन की निगरानी के लिए तृतीय-पक्ष संपरीक्षा तंत्र शुरू किया है, जिसमें दक्षिण कन्नड़ में किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक प्रसंस्करण और संग्रहण केंद्र भी शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि बेंगलुरु से जुड़े किसानों, एफपीओ और अर्ध-शहरी कृषि समुदायों को उक्त सुविधाओं से अपेक्षित लाभ मिल रहा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानें राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान कुंडली, हरियाणा और तंजावुर, तमिलनाडु ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण पहल को मजबूत करने के लिए कर्नाटक समेत कई शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है। निफ्टेम-तंजावुर ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु, कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिमोगा, सीएसआईआर- केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर और कर्नाटक राज्य के दूसरी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। निफ्टेम-तंजावुर ने शीत शृंखला प्रबंधन पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाए हैं।

(ख): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाएं – कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना सृजन और एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना मांग संचालित हैं और एकीकृत शीत श्रृंखला /कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता करने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ जिलों सहित देश भर से समय-समय पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ये परियोजनाएं शेल्फ-लाइफ बढ़ाने, रोजगार अवसर सृजित करने और आय बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अवसंरचना सुविधाओं के सृजन में मदद करती है।

एपीसी स्कीम के अंतर्गत उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी समय-समय पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एपीडा आदि के अंतर्गत चयनित कृषि-बागवानी क्लस्टरों में स्थापना की जानी है।

(ग): जी हाँ। मंत्रालय ने कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए एक तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करवाया है। इस अध्ययन ने शीत श्रृंखला और एपीसी योजनाओं के कार्य-निष्पादन का समर्थन किया है और उपलब्ध फसालोत्तर अवसंरचना और अपेक्षित सुविधाओं के बीच मौजूद अंतराल को पूरा करने के लिए इन्हें जारी रखने की अनुशंसा की है।

(घ): शीत श्रृंखला और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत, किसान और एफ़पीओ समेत कोई भी इकाई आवेदन करने और स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए पात्र है। अब तक , बेंगलुरु इलाके में एक परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे 600 किसानों को फ़ायदा हुआ है।
